



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53890

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जेल अपील संख्या - 52 वर्ष 2026

कबूल

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता: धर्मेन्द्र कुमार चौबे, प्रवीण कुमार तिवारी, शिवम यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल,

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के तहत जमानत/सजा के स्थगन आवेदन पर आदेश

- विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
- अपीलार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार चौबे और राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल अस्थाना को सुना गया।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत यह आपराधिक अपील, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉवसो-II), गौतम बुद्ध नगर द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 277 वर्ष 2022 (राज्य बनाम जसवीर एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 8.12.2023 के विरुद्ध दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 522 वर्ष 2021, धारा 363, 366-क, 368, 370-क, 376-क आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 एवं 16/17, थाना-बादलपुर, जिला-गौतम बुद्ध नगर से उत्पन्न हुई है।
- इस आवेदन के माध्यम से, अपीलार्थी-आवेदक सजा के स्थगन और जमानत की मांग करता है।
- अपीलार्थी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विरुद्ध है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को पढ़ने में चूक की है और अपीलार्थी को दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। आगे यह तर्क दिया गया है कि बलात्कार का आरोप सह-अभियुक्त जसवीर पर लगाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष है और उसे परिवादी के घर से बरामद किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्तों, जिनमें सुनील, पूजा और किरण शामिल हैं, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 7.5.2024, 8.5.2024 और 7.5.2024 को आपराधिक अपील संख्या 2669 वर्ष 2024, 136 वर्ष 2024, 383 वर्ष 2024 में पारित आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चुका है, उक्त आदेशों की प्रति इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है। अपीलार्थी समानता का दावा करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी विचारण के दौरान जमानत पर था और उसने कभी भी जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी 8.12.2023 से जेल में है। चूंकि निकट भविष्य में अपील की शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उपरोक्त दलीलों के अलावा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उन परिस्थितियों पर भी विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया जिनके कारण अभियुक्त-अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया।

6. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार किया है और विवादित निर्णय सहित संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपीलार्थी को दी गई सजा, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और उस पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और अपीलार्थी के कारावास की अवधि पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर आगे कोई टिप्पणी किए बिना, मैं अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में हूँ।

9. आवेदक/अपीलार्थी कबूल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी/आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए अपील के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा।

(ii) अपीलार्थी/आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iii) अपीलार्थी/आवेदक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 8.12.2023 के माध्यम से उस पर लगाए गए जुर्माने की संपूर्ण राशि, इस आदेश के तहत जमानत पर रिहा होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जमा करेगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, इस आदेश के तहत आवेदक-अपीलार्थी को दी गई जमानत स्वतः ही रद्द मान ली जाएगी और उसे विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भुगतने के लिए तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।

11. आवेदक-अपीलार्थी को दी गई सजा भी इस अपील के लंबित रहने के दौरान स्थगित रहेगी।

12. जमानत बंध पत्र और व्यक्तिगत बंध पत्र स्वीकार होने पर, निचली अदालत अभिलेख पर रखने के लिए उसकी छायाप्रति इस न्यायालय को प्रेषित करेगी।

अपील पर आदेश

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के अभिलेख के प्रेषण के लिए संबंधित विद्वान जिला न्यायाधीश को रिमांडर भेजें।

14. इस अपील को नियत समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17 मार्च, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"